


AUTHENTICATED


SHOBHA MATHUR
Ministry of Finance & Economic Affairs
Government of India
Kirti Bhawan, New Delhi

**STATEMENT SHOWING REASONS FOR DELAY IN LAYING THE
ANNUAL REPORT AND AUDITED ACCOUNTS OF PUNJAB AGRO
INDUSTRIES CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR 2019-20 ON
THE TABLE OF LOK SABHA/RAJYA SABHA**

The Punjab Agro Industries Corporation Limited is an undertaking under the direct control of the State Government. The Government of India has a shareholding of about 2.53% in the Corporation.

2. As per provisions contained under Section 394(1) of the Companies Act, 1913, where the Central Government is a member of a Government company, the Central Government shall cause an annual report on the working and affairs of that Company to be:

- (a) prepared within three months of its annual general meeting before which the audit report is placed under sub-section (6) of Section 143; and
- (b) as soon as may be after such preparation, laid before both Houses of Parliament, together with a copy of the audit report and any comments upon, or supplement to, the audit report, made by the Comptroller and Auditor General of India.

3. Further, in accordance with the recommendations contained in Para 26 of the 1st Report of "Committee on Papers Laid on the Table, Rajya Sabha", copies of the Annual Reports and Audited Accounts of the Corporation are to be placed on the Table of both the Houses of Parliament together with report/review, comments of auditors and Comptroller and Auditor General of India within 9 months of closure of the accounts.

4. The Annual Report and Audited Accounts of Punjab State Agro Industries Corporation pertaining to the year 2019-20 is due for laying on the Table of both the Houses of Parliament. The Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare has been pursuing the matter with the Corporation as well as with the State Government to expedite submission of the Annual Report.

Contd...

AUTHENTICATED

S. Hable Khanday
SHODH MANTRALI

**REVIEW OF ACTIVITIES OF THE PUNJAB AGRO INDUSTRIES
CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR 2019-20**

The Punjab Agro Industries Corporation Limited (PAICL) was incorporated in the year 1967 under the Companies Act, 1956 as a Government Company with equity participation of the Central Government and the State Government of Punjab. The authorized share capital of the Corporation is Rs. 75.00 crores. The Paid-up capital of the Corporation was Rs. 49.21 crores at the end of 2019-20. The Central Government's share in the Paid-up capital is Rs. 1.24 crores i.e. about 2.53% of the total Paid up capital of the Corporation.

2. OBJECTIVES:

The main objectives of the Corporation are as under:

- (I) Manufacture and distribution of agricultural machinery, improved implements and tools;
- (II) Enabling persons engaged in agricultural and allied pursuits to own the means for modernizing their operations or alternatively making available necessary custom services for this purpose;
- (III) Undertaking and assisting in the efficient distribution of inputs for Agriculture;
- (IV) Promotion and execution of industries having a bearing on production, preservation and supply of food; and
- (V) Providing technical guidance to farmers and persons concerned with Agro-industries with a view to enabling efficient conduct of their enterprises.

3. ACTIVITIES:

The Corporation has recently been involved in promoting agri/food processing infrastructure projects in public sector. Besides, it also facilitates grant of incentives to eligible agri/food processing units under the Fiscal Incentives for Investment Promotion Policy 2013 of the Punjab Government.

4. PROFIT AND LOSS POSITION:

During the year 2019-20, the Corporation had a profit of Rs. 145.05 lakh (after Tax) as against a profit of Rs. 615.33 lakh (after tax) during 2018-19.

5. The reasons for delay in finalization of Annual Accounts of the Punjab Agro Industries Corporation Limited for the year 2019-20 are as under:

S.No.	Task	Date with Period
1.	Annual Accounts approved by the Board of Director (BOD) of the Corporation in its meeting held on	29.10.2020
2.	Statutory Audit Report received on	09.11.2020
3.	The Accounts were forwarded to Comptroller and Auditor General (CAG) on	26.11.2020
4.	Comptroller and Auditor General(CAG)audit conducted from	03.12.2020 to 09.12.2020
5.	Draft comments received vide letter dated	09.12.2020
6.	Reply to Comptroller and Auditor General (CAG) Audit Para sent on	15.12.2020
7.	Final Comptroller and Auditor General (CAG) comments were received on	05.01.2021
8.	Approval for Directors Report by Board of Director (BOD) on	25.08.2021
9.	54 th Annual General Meeting of Shareholders held on	21.09.2021
10.	Date when the Annual Report and Audited Accounts of the Corporation sent to the Ministry for being laid on the Table of both houses of Parliament. English/Hindi	28.09.2021(English) 08.10.2021(Hindi)
11.	Annual Report received in this Ministry	04.10.2021(English) 20.10.2021 (Hindi)

6. Hence, there has been a delay in laying of Annual Report.

अधिप्रमाणित

S. Subandji

श्रीमान् श्री
स. सुबन्दी
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
नई दिल्ली

वर्ष 2019-20 के लिये पंजाब कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षित लेखों को लोक सभा/राज्य सभा के पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण।

....

पंजाब कृषि उद्योग लिमिटेड राज्य सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन एक नियंत्रणाधीन प्रतिष्ठान है। भारत सरकार की निगम में लगभग 2.53 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।

2. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 394(1) के प्रावधानों के अनुसार जहाँ केन्द्रीय सरकार सरकारी कम्पनी की एक सदस्य है, केन्द्रीय सरकार कम्पनी की कार्य प्रणाली और मामलों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट:

(क) इसकी वार्षिक आम बैठक के तीन महीनों के भीतर, जिससे पहले धारा 143 की उप-धारा (6) के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है, तैयार करवाएगी; तथा

(ख) इस तैयारी के बाद यथाशीघ्र, लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति तथा भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा इस पर की गई टिप्पणियाँ अथवा लेखा परीक्षा रिपोर्ट के परिशिष्ट सहित संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएगी।

3. इसके अलावा, "राज्य सभा के पटल पर रखे गए कागजातों से संबंधित सन्निधि" की प्रथम रिपोर्ट के पैरा 26 में की गई सिफारिशों के अनुसार निगम की वार्षिक रिपोर्टों और लेखा-परीक्षित खातों की प्रतियाँ को लेखों के बन्द होने के 9 महीनों के भीतर लेखा परीक्षकों और नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट/समीक्षा टिप्पणियाँ सहित, संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जानी है।

4. कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग संबंधित वार्षिक रिपोर्टों एवं लेखा परीक्षित खातों की प्रस्तुति में तेजी लाने के लिए निगम और राज्य सरकार के साथ मामले को उठाता रहा है। इस तरह से सदन के दोनों पटलों पर रखे जाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षित खाते भेजे जाने के लिए निगम सक्षम है।

अधिष्ठापित

Shobhanand

**पंजाब कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की वर्ष 2019-20 तक
कार्यकलापों की समीक्षा।**

जोधा कार्यालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
कार्य भवन
कृषि भवन, नई दिल्ली

पंजाब कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (पीएआईसीएल) को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत केन्द्रीय सरकार और पंजाब राज्य सरकार की साम्य हिस्सेदारी से एक सरकारी कंपनी के रूप में वर्ष 1967 में निर्मित किया गया था। इस निगम का प्राधिकृत पूंजीगत अंश 75.00 करोड़ रुपये है। वर्ष 2019-20 के अन्त में निगम की घटत पूंजी 49.21 करोड़ रुपये थी। कुल घटत पूंजी में केन्द्रीय सरकार का अंश 1.24 करोड़ रुपये है जो निगम की कुल घटत पूंजी का लगभग 2.53 प्रतिशत है।

2. निगम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- (क) कृषि मशीनरी, उन्नत उपस्करों और औजारों का विनिर्माण और वितरण;
- (ख) कृषि और संबद्ध कार्यों में लगे व्यक्तियों को अपने काम काज के आधुनिकीकरण के तरीकों को अपनाने के लिये समय बनाना या वैकल्पिक रूप में इस उद्देश्य के लिए आवश्यक कस्टम सेवाएं उपलब्ध कराना;
- (ग) कृषि के लिये आदानों का कुशल वितरण करना और इसमें सहायता करना;
- (घ) खाद्य उत्पादन, संरक्षण एवं आपूर्ति पर प्रभाव डालने वाले उद्योगों का संवर्धन एवं कार्यान्वयन; और
- (ङ) कृषकों और कृषि उद्योगों से सम्बंधित व्यक्तियों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना ताकि वे अपने उद्यमों को कुशलता से चलाने में सक्षम बन सकें।

3. कार्यकलाप

पंजाब कृषि उद्योग लिमिटेड अभी हाल ही में कृषि/खाद्य प्रसंस्करण डुनियादी टांचे की परियोजना को उन्नत करने में शामिल हुआ है। इसके अलावा यह पंजाब सरकार की निवेश संवर्धन नीति 2013 के लिए राजकोष्य प्रोत्साहन के अधीन योग्य कृषि/खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए प्रोत्साहन अनुदान को भी सुविधाजनक बनाता है।

4. लाभ एवं हानि की स्थिति

वर्ष 2018-19 के दौरान 615.33 लाख रुपये (कर पश्चात) के लाभ की तुलना में वर्ष 2019-20 में निगम को 145.05 लाख रुपये का लाभ हुआ है।

5. वर्ष 2019-20 के लिए पंजाब राज्य कृषि उद्योग निगम के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने में हुए विलम्ब के कारण इस प्रकार हैं:

क्र.सं	कारण	अवधि सहित तिथि
1	निगम की आयोजित बैठक में निगम के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखों।	29.10.2020
2	सांविधिक लेखा रिपोर्ट प्राप्त हुई	09.11.2020
3	लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) को अर्पित किए गए	26.11.2020
4	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा	03.12.2020 to 09.12.2020
5	मरतीदा टिप्पणियां प्राप्त हुई	09.12.2020
6	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) लेखापरीक्षा को उत्तर भेजा गया	15.12.2020
7	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की अंतिम टिप्पणियां प्राप्त हुई	05.01.2021
8	निदेशक मंडल द्वारा निदेशकों की रिपोर्ट के लिए स्वीकृति	25.08.2021
9	अंशधारकों की 54वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित की गई	21.09.2021
10	निगम द्वारा वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा खाती को सदन के पटल पर रखे जाने के लिए मंत्रालय को भेजे जाने की तारीख	28.09.2021(अंग्रेजी) 08.10.2021(हिन्दी)
11	इस मंत्रालय में वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त हुई	04.10.2021(अंग्रेजी) 20.10.2021 (हिन्दी)

6. इसलिए, रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने में विलम्ब हुआ।

.....